

पञ्जावली वार्ड
को पेश है।

13-5-2022

पञ्जावली पेश बकाल्य वार्ड। कायम वारदात
पेश करने लगे। ग्यापटिन में
पुनः कानिअ अन्तर्दिश पत्र को
कायम वारदात पेश नहीं होने पर
बाद खारीद हेतु मुकरिर किया जायेगा।
पञ्जावली वार्ड कायम वारदात हेतु
दिनांक 03-06-2022 को पेश है।

3-6-22

पञ्जावली वार्ड 2री वार्ड अन्तर्दिश उपदिश
पेश करीका कायम वारदात हेतु लफ्त
दिश गया पुनः ग्यापटिन में लफ्त दिशानाका
पञ्जावली वार्ड कायम वारदात दिनांक 14-6-22
को पेश है।

14-6-22

पञ्जावली वार्ड दुर्ब। अधिवक्ता वार्ड अनुपात्त रहे
ग्यापटिन हाथ-बा-आ नियामित अन्तर्दिश पर
आवाजे लगेवार्ड गयी- फिर भी न तो विडवाव
अधिवक्ता वार्ड और न ही वार्ड उपदिश दुर्ब।
अतः पञ्जावली का निस्तारण अन्तर्दिश
आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी में निस्तारित किया
जाना उचित है। पञ्जावली आदेश नियम-9
नियम-3 में खारिज की जाती है।
पञ्जावली पेंसल शुमा है सम्बन्ध
कम की जाकर दारिद्र्य दफतर है।
निर्वाह लावा जाकर सरे इजलास पुनाथ
अमा 1-पु

